

FORM - III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला, श्रीगंगानगर
तजेन्द्र सिंह आदि बनाम बलकरण सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए नम्बर 315 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/437 (lf no - 2023/436)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

मिल
कम

12.2023

वादीगण तजेन्द्र सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.01.2024 को पेश हो।

9/24

आज ग्रह पत्रावली वादीगण के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथमिक पत्र में वादीगण के द्वारा अज कहा कि हम पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है तथा वादी अपने केस में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहता है। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर उक्त मुकदमे का निस्तारण किया जावे। वादीगण की पक्षगन उनके अधिवक्ता के द्वारा की गई।

Rajveer Kaur

Tajinder Singh

वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92A RTA नोट पेश करने पर प्रकरण इसी स्तर पर स्तारित किया जाता है। पत्रावली विणीत होकर वादपत्र से कम होकर वापिस दफ्तर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर